कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14( )2022/एफसीए/प्रमुवसं./ 5637 दिनांक 17-04-2023

मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

विषयः– Creation of 33/11 KV line to new grid sub station Jogania Mata. (FP/RJ/Trans/50545/2020)

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ /स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:–

1. प्रस्ताव का नाम स्पष्ट नही है कि प्रस्ताव में पारेषण लाइन डाली जानी है अथवा अथवा नवीन ग्रिड सबस्टेशन की स्थापना की जानी है। पारेषण लाइन कहां से कहां को जानी है, स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या 4 में 33 के0वी0 एवं 11 के0वी का विवरण संलग्न किया गया है जबकि प्रस्ताव के अन्य दस्तावेजों में पारेषण लाईन 33 के0वी0 की डाली जानी अवगत कराया गया है उक्त स्थिति को स्पष्ट किया जाना प्रसतावित है।
3. रोजगार सृजन की सूचना सही नही भरी गयी है।
4. वर्तमान में चालू 11 केवी की पारेषण लाइन जिससे जोगनिया माता को विद्युत आपूर्ती हो रही है वह किस रूट पर वनी है एवं नवीन पारेषण लाइन डाले जाने के उपरांत उसका क्या किया जावेगा यह स्पष्ट नही है।
5. बार चार्ट में चेनऐज इत्यादि अंकित नही किये गये है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु प्रसताव में दुगनी 13.08 है0 वन भूमि पर वृक्षारोपण के स्थान पर 65 है0 वन भूमि में वृक्षारोपण चिन्हित किया गया है उक्त वृक्षारोपण ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र में लिया गया है प्रसतावित स्थल के नजदीक कम घनत्व वाले वाले क्षेत्र है जहॉ वृक्षारोपण किया जा सकता है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका अनुसार क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण 0.0 से 0.4 घनत्व वाले क्षेत्रों में ही किया जावे। एवं वनमण्डल में स्थित कम घनत्व वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता पर वृक्षारोपण करें अतः उप वन संरक्षक वृक्षारोपण के चयन पर पुर्नविचार करे।
7. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।
8. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के DGPS map में corner cordinates नही है।
9. उप वन संरक्षक द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि प्रस्ताव में कुल कितने वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।
10. प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नही है।
11. उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न की गयी सथल निरीक्षण रिपोर्ट 1 वर्ष 5 माह पुरानी है अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जावे।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2022/एफसीए/प्रमुवसं./ 5640-41 दिनांक 17-04-2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ।
2. Assistant Engineer, AVVNL Bengu

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner